

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
जिलों के सभी प्रभारी सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक -

विषय - माननीय मुख्यमंत्री की जिलावार प्रथम चरण के 'विकास कार्यो की समीक्षा यात्रा' कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक-07.12.2017 से जिलों में 'विकास कार्यो की समीक्षा यात्रा' के प्रथम चरण का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

| दिनांक | स्थान | कार्यक्रम |
|------------|--|---|
| 07.12.2017 | ग्राम-पतिलार, प्रखंड-बगहा, जिला-बेतिया | गाँव का भ्रमण, विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा आम-सभा |
| | ग्राम-कटैया, प्रखंड-लौरिया, जिला-बेतिया | गाँव का भ्रमण |
| | जिला मुख्यालय स्थित सभाकक्ष, मोतिहारी | समीक्षा बैठक (बेतिया+मोतिहारी) |
| 08.12.2017 | ग्राम-परशुरामपुर, प्रखंड-हरसिद्धी, जिला-मोतिहारी | गाँव का भ्रमण |
| | ग्राम-बालूकोठी, प्रखंड-चकिया, जिला-मोतिहारी | गाँव का भ्रमण, विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा आम-सभा |

1. जिले में गाँव का भ्रमण/स्थल निरीक्षण, चल रहे विकासात्मक कार्य/अन्य स्थलों का भ्रमण किया जायेगा। स्थल पर संबंधित विभागों के जिला एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

2. आम-सभा के दौरान जिलों की जीविका समूह की महिलाएँ, टोला सेवक, विकास मित्र, इत्यादि भाग लेंगे जिसमें राज्य में शराबबंदी अभियान, दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित बातें रखी जाएगी। साथ ही इस सभा में जिले की विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया जायेगा।

3. जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा होगी : -

I. विभागीय योजनाओं की समीक्षा

II. सात निश्चय से संबंधित योजनाओं की प्रगति।

III. शराबबंदी, बाल विवाह मुक्ति एवं दहेज उन्मूलन कार्यक्रम।

IV. बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के क्रियान्वयन।

V. बिहार लोक सेवा अधिकार कानून के क्रियान्वयन।

VI. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में की गई घोषणाओं के अनुपालन की समीक्षा।

VII. अन्य विकास एवं कल्याण कार्यों की समीक्षा।

4. मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक भी बैठक में रहेंगे।

5. जिलों में विकास के कार्यों की समीक्षा का आयोजन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं इसमें प्रमंडलीय आयुक्त/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक और समीक्षा की बिन्दुओं से संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी/संबंधित जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित रहेंगे।

6. कई जिलों की समीक्षा बैठक एक साथ होगी। समीक्षा बैठक आयोजन हेतु निर्धारित जिला पदाधिकारी बैठक की सभी व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिस जिला की समीक्षा बैठक एक साथ होगी उनके प्रतिवेदनों को भी प्राप्त कर संकलित करेंगे।

7. जिन योजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया जाना है, जिला पदाधिकारी उन सभी योजनाओं को सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पुरानी योजना की पुनरावृत्ति न हो।

8. आम सभा का आयोजन गाँव/भ्रमण स्थल के नजदीक स्थल पर ही किया जाना प्रस्तावित है, जिला पदाधिकारी उपयुक्त स्थल का चयन कर आम सभा हेतु सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।

9. जिला पदाधिकारी जिला के माननीय प्रभारी मंत्री एवं जिला से आने वाले अन्य माननीय मंत्रीगण को भी बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से अनुरोध करेंगे।

10. राज्य मुख्यालय स्तर से गृह विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, श्रम संसाधन

विभाग, जल संसाधन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव कार्यक्रम के अनुसार सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि प्रथम चरण के “विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा” के आयोजन एवं बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारीगण पूरी तैयारी के साथ ससमय उपस्थित रहने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017/दिनांक-.....

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया उक्त तिथियों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017/दिनांक-.....

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017/दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला के निवासी सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि माननीय मंत्रीगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017/दिनांक-.....

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ह0/-

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017/दिनांक-.....


प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव (श्री अतीश चन्द्रा एवं श्री मनीष कुमार वर्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-56/2017 487/दिनांक-..... 1/12/17.....
प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव